	Farmers Welfare -Member 4. Administrative Officer, Commission for Agricultural Costs and Prices – Member	

[F. No. A-12018/7/2013-EA]

ABHIJIT CHAKRABORTY, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. 159.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, आर्थिक अधिकारी (मंडी आसूचना), भर्ती नियम, 2012, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अधीन आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय में आर्थिक अधिकारी (मंडी आसूचना) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, आर्थिक अधिकारी (मंडी आसूचना), भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .**—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आर्थिक अधिकारी	*2 (2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा,	स्तर 7	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं । (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय

(मंडी आसूचना)	* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	(रु.44900-142400)		पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय। आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) भारत में केन्द्रीय अथवा राज्य विधान के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य शैक्षणिक संस्थानों अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय में रूप में मान्य घोषित संस्था अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या अनुप्रयुक्त बिज़नेस अर्थशास्त्र या अर्थमिति में स्नातकोत्तर उपाधि धारण करता हो ; (ii) मूल्य सांख्यिकी के विशेष सन्दर्भ में सांख्यिकीय आंकड़ों के	**आयु :** नहीं **शैक्षिक अर्हता :** नहीं (किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र/ वाणिज्य अथवा सांख्यिकी में कम से कम स्नातक डिग्री जिसमें अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में अवश्य धारण करते हों।) **टिप्पण:** आर्थिक कार्य विभाग के पत्र सं.14013/1/2003-आईईएस तारीख 17/20-9-2004 एवं कृषि एवं सहकारिता विभाग के कार्यालय आदेश सं.ए-12018/3/2004 ई.ए. तारीख 11.3.2015 के	सीधे भर्ती व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	50% सीधी भर्ती द्वारा 50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा